बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0 स0–06/सी0एम0टी0(बस भाड़ा)–01/2014(खंड–II) पटना, दिनांक–

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये यात्री किराया की दर पुनर्निर्धारित करना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप, एतद द्वारा इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाईट–https://state.bihar.gov.in/transport पर देखा जा सकता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के क्षेत्र के लिए प्रति कि0मी0 की दर से बसों के यात्री किराया का पुनर्निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है :–

क्र0 सं0	बसों की श्रेणी	वर्ष 2021 में निर्धारित किराये की दर (प्रति कि0मी0 प्रति यात्री) – वर्तमान में लागू	समिति द्वारा अनुशंसित किराये की दर प्रति कि0मी0 प्रति यात्री					
			50 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 15%)	100 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 14%)	150 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 13%)	200 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 12%)	250 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 11%)	300 कि0मी0 से अधिक की दूरी (बढ़ोतरी 10%)
1	साधारण बस सेवा	1.50 रू0	1.73 रू0	1.71 रू0	1.70 रू0	1.68 रू0	1.67 रू0	1.65 रू0
2	डीलक्स बस सेवा	1.70 रू0	1.96 रू0	1.94 रू0	1.92 रू0	1.90 रू0	1.89 रू0	1.87 रू0
3	डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा	2.0 रू0	2.30 रू0	2.28 रू0	2.26 रू0	2.24 रू0	2.22 रू0	2.20 रू0
4	वॉल्वो, मर्सिडिज एवं उनके समतुल्य बस सेवा	2.50 रू0	2.88 रू0	2.85 रू0	2.83 रू0	2.80 रू0	2.78 रू0	2.75 रू0
5	नगरीय बस सेवा	1.60 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.5 रू0)	1.84 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.73 रू0)					

नोट :– उपर्युक्त के आलोक में बसों के प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक के भाड़े का निर्धारण तद्नुसार राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

सामान्य शर्त्ते जिसके अन्तर्गत यात्री किराये की दर निर्धारित किया जायेगा –

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि0मी0 का एवं अगला स्टेज प्रत्येक 02 कि0मी0 का होगा।
3. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जायेगी।
4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर यत्र–तत्र बसों का ठहराव नहीं किया जायेगा, बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही बसों का ठहराव किया जायेगा।
7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवर लोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधानों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
8. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।
9. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–7118, दिनांक–15.11.2021 को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

ह0/–
(कृत्यानन्द रंजन)
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–
पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0(CD) सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2702
पटना, दिनांक– 08/04/2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, बिहार एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.26
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0 स0–06 / सी0एम0टी0(बस भाड़ा)–01 / 2014(खंड–II) 2702 **पटना, दिनांक–**08/04/2026

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये यात्री किराया की दर पुनर्निर्धारित करना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप, एतद द्वारा इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाईट–https://state.bihar.gov.in/transport पर देखा जा सकता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के क्षेत्र के लिए प्रति कि0मी0 की दर से बसों के यात्री किराया का पुनर्निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है :–

क्र0 सं0	बसों की श्रेणी	वर्ष 2021 में निर्धारित किराये की दर (प्रति कि0मी0 प्रति यात्री) – वर्तमान में लागू	समिति द्वारा अनुशंसित किराये की दर प्रति कि0मी0 प्रति यात्री					
			50 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 15%)	100 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 14%)	150 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 13%)	200 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 12%)	250 कि0मी0 की दूरी तक (बढ़ोतरी 11%)	300 कि0मी0 से अधिक की दूरी (बढ़ोतरी 10%)
1	साधारण बस सेवा	1.50 रू0	1.73 रू0	1.71 रू0	1.70 रू0	1.68 रू0	1.67 रू0	1.65 रू0
2	डीलक्स बस सेवा	1.70 रू0	1.96 रू0	1.94 रू0	1.92 रू0	1.90 रू0	1.89 रू0	1.87 रू0
3	डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा	2.0 रू0	2.30 रू0	2.28 रू0	2.26 रू0	2.24 रू0	2.22 रू0	2.20 रू0
4	वॉल्वो, मर्सिडिज एवं उनके समतुल्य बस सेवा	2.50 रू0	2.88 रू0	2.85 रू0	2.83 रू0	2.80 रू0	2.78 रू0	2.75 रू0
5	नगरीय बस सेवा	1.60 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.5 रू0)	1.84 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.73 रू0)					

नोट :– उपर्युक्त के आलोक में बसों के प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक के भाड़े का निर्धारण तद्नुसार राज्य / क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

सामान्य शर्त्ते जिसके अन्तर्गत यात्री किराये की दर निर्धारित किया जायेगा –

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि0मी0 का एवं अगला स्टेज प्रत्येक 02 कि0मी0 का होगा।
3. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जायेगी।
4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर यत्र–तत्र बसों का ठहराव नहीं किया जायेगा, बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही बसों का ठहराव किया जायेगा।
7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवर लोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधानों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
8. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।
9. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–7118, दिनांक–15.11.2021 को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

ह0/- 8.4.26

(कृत्यानन्द रंजन)
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।